RCMS-No 2017/00087

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–76 / 2017

उनवान –सरकार बनाम संतलाल पुत्र सियाराम प्रजापति जाति प्रजापति निवासी सुखपुरा पहाडगढ तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

दिनांक –19.02.2020

निर्णय

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री संतलाल पुत्र सियाराम प्रजापति जाति प्रजापति निवासी सुखपुरा पहाडगढ तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.09.2016 को औडेला रोड धौलपुर पर दूध विक्रेताओं की चेकिंग के दौरान दूध विक्रेता को रोक कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि अभियुक्त द्वारा टाटा गाडी संख्या एमपी 06 जीए 0925 टैंकर में लगभग 200 लीटर मिश्रित दूध आम जनता के विकय करने हेतु रखा था। अभियुक्त से मिश्रित दूध विकय का खाद्य अनुज्ञापत्र वर्ष 2016 दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर उक्त 200 लीटर दूध में से 2 लीटर दूध वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मिश्रित दूध नमूना डी–1148 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस / 877 / एक्ट / 2016 / 884 दिनांक 23.09.2016 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड एवं वाहरी तत्व की मिलावट प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस कमांक 48 दिनांक 31.1.18 एवं रजिस्टर्ड नोटिस 736 दिनांक 13.8.18 तलब किया गया। अभियुक्त/अप्रार्थी बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त/अप्रार्थी के विरुद्व दिनांक 26.12.18 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण पैरोकार सरकार की एकपक्षीय वहस हेतु नियत किया गया। पैरोकार सरकार को वहस हेतु कई मौके दिये गये। दिनांक 22.1.2020 पैरोकार सरकार उपस्थित नहीं हुये तथा उनका बहस का मौका बंद किया गया तथा पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस / 877 / एक्ट / 2016 / 884 दिनांक 23.09.2016 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड एवं वाहरी तत्व की मिलावट प्रकृति का होना पाया गया। जिससे यह भलिभॉति सिद्व होता है कि अभियुक्त/अप्रार्थी द्वारा उक्त सबस्टैडर्ड दूध का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अभियुक्त/अप्रार्थी सबस्टैडर्ड दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 एवं 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतःन्यायनिर्णयन आवेदन स्वीकार किया जाकर अभियुक्त/अप्रार्थी श्री संतलाल पुत्र सियाराम प्रजापति जाति प्रजापति निवासी सुखपुरा पहाडगढ तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0 पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एंव 54 के तहत 7000/–रुपये (सात हजार रू0) का जुर्माना

लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बॉकीदार अभियुक्त/अप्रार्थी श्री संतलाल पुत्र सियाराम प्रजापति जाति प्रजापति निवासी सुखपुरा पहाडगढ तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0 का निवास स्थान एवं बांकीदार की सम्पत्ति सुखपुरा पहाडगढ तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0 में होने के कारण उक्त जुर्माना राशि 7000/—रू0 भारतीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर मुरैना म0प्र0 को भिजवाया जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)